प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–गाजियाबाद एवं बागपत (उ0प्र0)।

पत्रांकः SPMU/NHM/MH/SS Visit/ 2022-23/ 10,033 दिनांकः 30-03-2023

विषयः राज्य स्तरीय टीम द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के क्रम में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या SPMU/NHM/M&E/2022-23/04/2566-2 दिनांक 19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अर्न्तगत जनपदों के भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 13–17 मार्च 2023 तक जनपद गाजियाबाद एवं बागपत की स्वास्थ्य इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NHM/MH/SS Visit/ 2022-23/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., मेरठ मण्डल, मेरठ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., गाजियाबाद एवं बागपत।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–गाजियाबाद एवं बागपत (उ0प्र0)।

पत्रांकः SPMU/NHM/MH/SS Visit/ 2022-23/ दिनांकः 30.03.2023

विषयः राज्य स्तरीय टीम द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के क्रम में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या SPMU/NHM/M&E/2022-23/04/2566-2 दिनांक 19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय टीमों द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपदों के भ्रमण हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 13–17 मार्च 2023 तक जनपद गाजियाबाद एवं बागपत की स्वास्थ्य इकाईयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण किया गया एवं संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण किए जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बंधित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NHM/MH/SS Visit/ 2022-23/ 10,033 - 6 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन.एच.एम., मेरठ मण्डल, मेरठ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन.एच.एम., गाजियाबाद एवं बागपत।

Aparna.U

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

जनपद गाजियाबाद एवं बागपत की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट
दिनांक : 13–17 मार्च 2023

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 से 02 सदस्यीय टीम डा0 रईस अहमद, कन्सल्टेंट, एम.एच., श्री दिनेश पाल सिंह, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जनपद गाजियाबाद एवं बागपत की स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 13–17 मार्च 2023 को किया गया है। विन्दुवार भौतिक एवं वित्तीय आख्या निम्नवत है–

जनपद–गाजियाबाद

जिला महिला अस्पताल गाजियाबाद–

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	लेबर रुम के बाहर इमरजेसी कक्ष में महिला स्टाफ नर्स के स्थान पर पुरुष फार्मासिस्ट की तैनाती की गयी थी।	महिला स्टाफ नर्स की तैनाती किये जाने का सुझाव दिया गया जिससे गर्भवती महिलाओं को सुचारु रुप से सेवायें प्रदान की जा सकें।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सी.एम.एस.
2	लेबर रुम– • लेबर रुम में समुचित प्रोटोकाल पोस्टर नहीं पाए गये। • लेबर रुम में 7 ट्रे व्यवस्थित नहीं पाये गयी। • डिलीवरी टेबल पर कैलिस पैड का सही उपयोग नहीं किया जा रहा था।	निम्न सुझाव दिये गये– • लेबर रुम को निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवस्थित किया जाए एवं निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर लगाये की जाए। • 7 ट्रे मानकानुसार व्यवस्थित किया जाए एवं कैलिस पैड का उपयोग किया जाय।	सी.एम.एस. एवं लेबर रुम स्टाफ
3	लेबर रुम मे निर्धारित प्रारुप पर रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। उपलब्ध रजिस्टर में आर.सी.एच. नम्बर आदि सूचनाओं का अंकन पूर्ण रुप से नहीं किया जा रहा था।	निर्धारित प्रारुप पर लेबर रुम रजिस्टर तैयार किए जाने एवं समस्त विवरण दर्ज किए जाने का सुझाव दिया गया।	
4	एच.आर.पी. रजिस्टर पर प्रत्येक माह की लाइन लिस्टिंग की समरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पायी गयी।	निर्धारित मानकानुसार रजिस्टर अद्यतन एवं समरी रिपोर्ट तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया	सी.एम.एस. एवं लेबर रुम स्टाफ
5	वर्ष 2022–23 में अब तक कुल प्रसव 5564 में से 5230 को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान किया गया है।	अवशेष सभी लाभार्थियों के खातों में जननी सुरक्षा योजना की धनराशि नियमानुसार अवमुक्त करने एवं भुगतान प्रक्रिया को नियमित बनाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस., हास्पिटल मैनेजर एवं डी.पी.एम.
6	चिकित्सालाय में जे.एस.वाई वार्ड में भर्ती प्रसूताओं के परिजनों से संवाद के दौरान टीम को अवगत कराया गया कि स्टाफ द्वारा प्रसव उपरांत सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है।	प्रसूताओं के परिजनों से किसी प्रकार का सुविधा शुल्क नहीं लिये जाने का सुझाव दिया गया	सी.एम.एस. एवं लेबर रुम स्टाफ
7	जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत डाइट रजिस्टर निर्धारित प्रारुप पर एवं प्रमाणित नही पाया गया एवं मरीजों को	गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रमाणित कराये जाने जाने एवं तद्नुसार भुगतान	सी.एम.एस., एवं

Scanned with OKEN Scanner

	मीनू के अनुसार ताजा गर्म भोजन दिया जाना नहीं पाया गया।	कराये जाने का सुझाव दिया गया।	हास्पिटल मैनेजर
8	अधिकांश प्रसूता महिलाओं को चिकित्सालय में 48 से कम अवधि में डिस्जार्च किया जा रहा था।	प्रसूताओं को राज्य स्तर से प्रेषित मानकानुसार रोके जाने का सुझाव दिया गया।	
9	डी.डब्लू.एच. में पुरुष नसबन्दी 0 एवं महिला नलबन्दी 522 की गयी हैं एवं अन्तरा 367, आई.यू.सी.डी. 1579 लगायी गयी हैं।	मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं समस्त गविविधियों को ससमय पूर्ण किये जाने का सुझाव दिया गया।	
10	बायो–वेस्ट निस्तारण हेतु मानकानुसार कलर कोडेड बिन्स लागबुक उपलब्ध नहीं पाये गये।	बायो–वेस्ट के निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स सहित मानकानुसार अन्य कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
11	अस्पताल में 102 एम्बुलेंस का ड्रापबैक रजिस्टर निर्धारित प्रारुप में तैयार नही किया गया था एवं एम्बुलेसों के मासिक वेरीफिकेशन की रिपोर्ट एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं पाये गये।	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने एवं अस्पताल में डिप्लाएड समस्त एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच आख्या नियमित रुप से उपलबध कराने का सुझाव दिया गया।	
12	सड़क पर अस्पताल हेतु साइनेज नहीं पाये गये।	साइनेज लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	
13	आर0के0एस0 के अभिलेख, बैठक रजिस्टर एवं वित्तीय विवरण आदि अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। अधीक्षिक द्वारा अवगत कराया गया कि रिकार्ड जिस अलमारी में बन्द हैं उसकी चाबी सम्बन्धित स्टाफ के पास है जोकि अवकाश पर है।	आर0के0एस0 के समस्त अभिलेख अद्यतन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस. एवं डी.पी.एम.
14	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु डी.डब्लू. एच. को जनपद से उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु0 244.46 लाख के सापेक्ष माह फरवरी 2023 तक रु0 154. 67 का व्यय किया गया है।	उपलब्ध धनराशि का नियमानुसार व्यय वित्तीय वर्ष में कराये जाने का सुझाव दिया गया।	सी.एम.एस. एवं सम्बन्धित स्टाफ
15	चिकित्सालय में स्वीकृत निश्चेतक 03 पदो के सापेक्ष 0, रेडियोलॉजिस्ट के 01 पद के सापेक्ष 0, ई0एम0ओ0 के 06 पदों के सापेक्ष 1 कार्यरत होना पाया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर निर्धारित मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सी.एम.एस.

जिला महिला चिकित्सालय, गाजियाबाद के

जिला महिला चिकित्सालय में अधीक्षिका के साथ

Scanned with OKEN Scanner

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डासना–

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	स्वास्थ्य इकाई के नाम का कोई भी संकेतक बोर्ड/साइनेज रोड पर नहीं पाया गया।	साइनेज शीघ्र लगाये जाने का अनुरोध किया गया।	अधीक्षक एवं वी0पी0एम0
2	स्वास्थ्य इकाई में पीने के पानी का आर0ओ0 खराब पाया गया।	आर0ओ0 को अतिशीघ्र क्रियाशील कराने का सुझाव दिया गया।	
3	सी.एच.सी. के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में माह फरवरी तक कुल प्रसव 2266 में से 2126 को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान किया गया है।	जे.एस.वाई. लाभार्थियों को भुगतान प्रकिया को नियमित बनाये रखने हेतु सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ,
4	लेबर रुम में– • लेबर रुम एवं वाशरुम गन्दा एवं अव्यवस्थित पाया गया • प्रोटोकाल पोस्टर नहीं पाए गये • विद्युत की वायरिंग अव्यवस्थित पायी गयी • हब कटर खराब था • लेबर टेबल अव्यवस्थित थी • प्रसव कक्ष में कलर कोडेड बिन्स का उपयोग नहीं किया जाना नहीं पाया गया।	प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने एवं अन्य सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया कलर कोडेड बिन्स का उपयोग सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ ,
5	लेबर रुम रजिस्टर में आर.सी.एच. नम्बर अंकित नहीं किये जा रहे थे।	समस्त सूचनाएं भरे जाने का सुझाव दिया गया।	
6	केस शीट पर पार्टोग्राफ पूर्णतः नहीं अंकित किया जा रहा था।	नर्स मेन्टर एवं सम्बन्धित स्टाफ को केस शीट पूर्णतः भरने का सुझाव दिया गया	
7	गर्भवती महिलाओं को दिये गये एम.सी.पी. कार्ड में समस्त सूचनाओं जैसे आर.सी.एच. नम्बर आदि का अंकन नहीं किया जा रहा था।	समस्त सूचनाएं दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया।	
8	जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत डाइट रजिस्टर निर्धारित प्रारुप पर नही पाया गया एवं मरीजों को मीनू के अनुसार ताजा गर्म भोजन दिया जाना नहीं पाया गया।	रजिस्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार किये जाने एवं लाभार्थियों को मीनू के अनुसार ताजा गर्म भोजन दिये जाने का सुझाव दिया गया।	
9	सी.एच.सी. में अंकित ई.डी.एल. अद्यतन नहीं पायी गयी।	ई.डी.एल. को अद्यतन अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
10	अस्पताल में 102 एम्बुलेंस का ड्रापबैक रजिस्टर निर्धारित प्रारुप में तैयार नही किया गया था एवं एम्बुलेसों के मासिक वेरीफिकेशन की रिपोर्ट एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं पाये गये।	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने एवं अस्पताल में डिप्लाएड समस्त एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच	अधीक्षक, बी.पी.

Scanned with OKEN Scanner

		आख्या नियमित रुप से उपलबध कराने का सुझाव दिया गया।	एम. एवं सम्बन्धित स्टाफ
11	जे.एस.वाई/जे.एस.एस.के अर्न्तगत निःशुल्क दी जाने वाली सुविधाओं को दीवार लेखन नही पाया गया	निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का दीवार लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
12	लेबर रुम रजिस्टर से मंत्र एप पर प्रसव की संख्या का मिलान करने पर अन्तर पाया गया।	समस्त प्रसवों का ससमय मंत्र एप पर डाटा फीड किये जाने का सुझाव दिया गया।	
13	स्वास्थ्य इकाई आधारित एकमात्र मृत्यु से सम्बन्धित प्रपत्र/अभिलेख पूर्णतः नहीं पाये गये।	मातृ मृत्यु से सम्बन्धित डाटा एवं अभिलेख पूर्ण किये जाने एवं इसकी समिति का गठन कर नियमित समीक्षा किये जाने का सुझाव दिया गया।	
14	बायो–वेस्ट निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स उपलब्ध नहीं पाये गये।	बायो–वेस्ट के निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स सहित मानकानुसार अन्य कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी. पी.एम.
15	आर0के0एस0 के अभिलेख, बैठक रजिस्टर आदि अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि रिकार्ड जिस अलमारी में बन्द हैं उसकी चाबी सम्बन्धित स्टाफ के पास है जोकि अवकाश पर है।	आर0के0एस0 के समस्त अभिलेख निमानुसार अद्यतन कराये जाने बैठकें सम्पन्न कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डी.पी. एम., अधीक्षक

सी एच सी डासना के लेबर रुम में गंदा वाश बेसिन

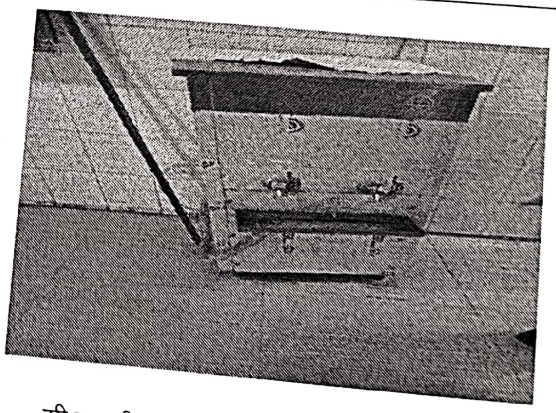

सी.एच.सी. डासना में खराब वाटर–कूलर

यू.एच.एन.डी. सत्र

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केला भट्टा के अन्तर्गत कैलाश नगर, गली नं0 01 में आयोजित हो रहे शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का अनुश्रवण किया गया। सत्र में निम्नलिखित बिन्दु पाये गये–

- ए0एन0एम0 श्रीमती पूजा केशरवारी द्वारा आंगनबाडी शशि के साथ सत्र का आयोजन किया जा रहा था। आशा सत्र में उपस्थिति नहीं पाई गयीं।
- सत्र स्थल पर बैनर लगा हुआ था।
- टीकाकरण ड्यू लिस्ट के अनुसार किया जा रहा था जिसमें 28 के सापेक्ष 8 का टीकाकरण किया गया था।
- बी0पी0 मशीन नहीं पायी गयी।

Scanned with OKEN Scanner

- गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु समुचित स्थान एवं प्राइवेसी हेतु कर्टेन का लगाया जाना नहीं पाया गया।
- सत्र स्थल पर स्टेथेस्कोप, वेइंग मशीन द्वारा गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया जा रहा था।
- आयरन फोलिक एसिड, एल्बेन्डाजॉल, कैल्सियम कार्बोनेट आदि समस्त दवायें उपलब्ध पायी गयीं।
- महिला आरोग्य समिति के बैठक रजिस्टर आदि अवलोकन हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं करायी गयी।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केला भट्टा –

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	स्वास्थ्य इकाई के नाम का कोई भी संकेतक बोर्ड/साइनेज रोड पर नहीं पाया गया।	साइनेज शीघ्र लगाये जाने का अनुरोध किया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ
2	स्वास्थ्य इकाई में मानव संसाधन के अन्तर्गत 01 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक, 01 आयुष चिकित्सक, 04 ए0एन0एम0, 01 फार्मासिस्ट, 01 एल.टी. एवं 02 वार्ड आया, की तैनाती है।	निर्धारित मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल ए.सी. एम.ओ.
3	स्वास्थ्य इकाई में सामान्य ओ0पी0डी0 औसतन 40–50 प्रतिदिन की जा रही थी।	ओ0पी0डी0 के साथ–साथ ए0एन0सी0 की संख्या बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ
4	चिकित्सालय में ओ0पी0डी0 के अतिरिक्त, मात्र नियमित टीकाकरण की सेवाएं प्रदान की जा रही थी।	नियमित टीकाकरण के साथ प्रसव सम्बन्धी सेवाएं एवं अन्य सेवाएं भी सम्पादित किये जाने का सुझाव दिया गया।	नोडल ए.सी.एम. ओ., प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ

जनपद स्तर पर नगरीय प्राथमिक केन्द्रों की स्थिति–

• जनपद द्वारा अवगत कराया गया कि 53 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रें में से समस्त केन्द्र क्रियाशील हो गये है। 16 केन्द्रों को डिलीवरी प्वाइन्ट के रूप में क्रियाशील किया गया है। • अरवन आशा के लक्ष्य 2085 के सापेक्ष वर्तमान में 230 आशा कार्यरत हैं जिनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। कार्यरत आशाओं द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में महिला आरोग्य समिति का गठन कर लिया गया है। 198 महिला आरोग्य समितियों के बैंक खाते खोले गये है।	अधिक केन्द्रों को डिलीवरी प्वाइन्ट को चिन्हित कर शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील किये जाने सुझाव दिया गया। लक्ष्य के अनुसार आशाओं का चयन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	नोडल अधिकारी/ जिला अरबन कोआर्डिनेटर

जनपद स्तर पर बैठक –

उपरोक्त भ्रमण मे निकल कर तथ्यों पर जनपद गाजियाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आदि के साथ फीडबैक एवं सुधार हेतु चर्चा की गयी। आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैन्युल में दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखाभिलेखों को तैयार कराये जाने तथा

Scanned with OKEN Scanner

मैनुअल का जनपद एवं अधीनस्थ इकाईयों द्वारा पूर्णतः पालन कराये जाने का सुझाव, बैठक में दिया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद– गाजियाबाद एवं अन्य के साथ के साथ चर्चा

Scanned with OKEN Scanner

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागपत–

क्र. सं.	भ्रमण बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	सी.एच.सी. में उपस्थिति हेतु बायो–मेट्रिक्स का उपयोग नहीं किया जा रहा था।	स्टाफ की उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु अतिशीघ्र बायो–मेट्रिक्स लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं वी0पी0एम0
2	सी.एच.सी. के इमरजेंसी वार्ड में– • इमरजेन्सी ड्रग ट्रे में कुछ इंजेक्शन समाप्ति तिथि के पाये गये • रोगियों को रिकार्ड सही नहीं पाया गया, रजिस्ट्रेशन पंजिका पर जनरल ओ0पी0डी0 पंजिका लिखा पाया गया • अलमारी में रखी दवाइयां एवं इंजेक्शन खुले हुए एवं उन पर धूल जमी हुई पायी गयी • वार्ड में लगा फायर सिलेन्डर खाली था।	समाप्ति तिथि एवं अत्यन्त नजदीक की एक्सपायरी तिथि वाली दवाये न रखे जाने एवं नियमानुसार समस्त अभिलेख/कार्य पूर्ण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, वी0पी0एम0, फार्मासिस्ट एवं सम्बन्धित समस्त स्टाफ,
3	सी.एच.सी. के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में माह फरवरी तक कुल प्रसव 1219 में से 1167 को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान किया गया है।	जे.एस.वाई. लाभार्थियों को भुगतान प्रक्रिया को नियमित बनाये रखने हेतु सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ,
4	लेबर रुम में– • लेबर रुम एवं वाशरुम गन्दा पाया गया • प्रोटोकाल पोस्टर व्यवस्थित नहीं पाए गये • विद्युत की वायरिंग अव्यवस्थित पायी गयी • लेबर टेबल अव्यवस्थित थी • प्रसव कक्ष में कलर कोडेड बिन्स का नियमानुसार उपयोग किया जाना नहीं पाया गया। • ट्रे में रखे गये कुछ इंजेक्शन की एक्सपायरी तिथि अत्यन्त नजदीक पायी गयी	प्रोटोकाल पोस्टर व्यवस्थित रुप से लगाये जाने एवं अन्य सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया कलर कोडेड बिन्स का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया। अत्यन्त नजदीक की एक्सपायरी तिथि वाली दवाये लेबर रुम में न रखे जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ
5	लेबर रुम रजिस्टर में आर.सी.एच. नम्बर अंकित नहीं किये जा रहे थे।	समस्त सूचनाएं भरे जाने का सुझाव दिया गया।	
6	केस शीट पर पार्टोग्राफ पूर्णतः नहीं अंकित किया जा रहा था।	नर्स मेन्टर एवं सम्बन्धित स्टाफ को केस शीट पूर्णतः भरने का सुझाव दिया गया	
7	गर्भवती महिलाओं को दिये गये एम.सी.पी. कार्ड में समस्त सूचनाओं जैसे आर.	समस्त सूचनाएं दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ,

Scanned with OKEN Scanner

	सी.एच. नम्बर आदि का अंकन नहीं किया जा रहा था।		
8	गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण हेतु 01 रु0 शुल्क लिया जा रहा था एवं कम्प्युटराइज्ड पंजीकरण प्रक्रिया उपलब्ध होने के पश्चात भी कक्ष के बाहर लम्बी कतार पायी गयी जिससे लाभार्थियों को पंजीकरण में विलम्ब हो रहा था।	सुविधा शुल्क न लिये जाने सुझाव दिया गया एवं पंजीकरण कक्ष में अतिरिक्त मानव संसाधन की तैनाती हेतु सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, डी.एम. एच.सी. एवं बी0पी0एम0
9	जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत डाइट रजिस्टर निर्धारित प्रारुप पर एवं प्रमाणित नही पाया गया एवं मरीजों को मीनू के अनुसार ताजा गर्म भोजन दिया जाना नहीं पाया गया।	रजिस्टर गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रमाणित किये जाने एवं लाभार्थियों को मीनू के अनुसार ताजा गर्म भोजन दिये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी0पी0एम0
10	विगत 8 माह से सी–सेक्शन प्रसव नहीं किये जा रहे थे, अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीक्षक
11	अस्पताल में 102 एम्बुलेंस का ड्रापबैक रजिस्टर निर्धारित प्रारुप में तैयार नही किया गया था एवं एम्बुलेसों के मासिक वेरीफिकेशन की रिपोर्ट एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं पाये गये।	शासनादेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तैयार किये जाने एवं अस्पताल में डिप्लाएड समस्त एम्बुलेंस के उपकरणों व कन्ज्युमेबिल्स की मासिक जांच आख्या नियमित रुप से उपलबध कराने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी. पी.एम.
12	जे.एस.वाई/जे.एस.एस.के अर्न्तगत निःशुल्क दी जाने वाली सुविधाओं का दीवार लेखन नही पाया गया	निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का दीवार लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक, एवं सम्बन्धित स्टाफ
13	लेबर रुम रजिस्टर से मंत्र एप पर प्रसव की संख्या का मिलान करने पर अन्तर पाया गया एवं प्रत्येक माह की समरी रिपोर्ट अंकित नहीं की जा रही थी	समस्त प्रसवों का ससमय मंत्र एप पर डाटा फीड किये जाने एवं समरी रिपोर्ट तैयार कराये का सुझाव दिया गया।	
15	स्वास्थ्य इकाई आधारित एकमात्र मृत्यु से सम्बन्धित प्रपत्र/अभिलेख पूर्णतः नहीं पाये गये।	मातृ मृत्यु से सम्बन्धित डाटा एवं अभिलेख पूर्ण किये जाने एवं इसकी समिति का गठन कर नियमित समीक्षा किये जाने का सुझाव दिया गया।	
16	बायो–वेस्ट निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स उपलब्ध नहीं पाये गये।	बायो–वेस्ट के निस्तारण हेतु कलर कोडेड बिन्स सहित मानकानुसार अन्य कार्यवाही कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं बी. पी.एम.
17	रोगी कल्याण समिति (आर0के0एस0) के अभिलेख, बैठक रजिस्टर आदि अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि रिकार्ड जिस अलमारी में बन्द हैं उसकी चावी सम्बन्धित स्टाफ के पास है जोकि अवकाश पर	आर0के0एस0 के समस्त अभिलेख अद्यतन कराने एवं बैठकें ससमय आयोजित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	.अधीक्षक, डी.सी. पी.एम. एव बी0पी0एम0

Scanned with OKEN Scanner

	है।		
18	आर०बी०एस०के० कार्यक्रम • सी.एच.सी. के अन्तर्गत 2 आर.बी.एस.के. टीम हैं जिनमें से एक टीम की डा० बुशरा कुरैशी द्वारा सी.एच.सी. में ओ०पी०डी० का कार्य किया जा रहा था, टीम के फार्मासिस्ट श्री मुबीन खान उपस्थित थे। • दूसरी टीम की डा० करुणा चौधरी अनुपस्थित थी। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया टीम के अन्य डाक्टर आर.के. शर्मा को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर अन्य पी.एच.सी. में सम्बद्ध किया गया है। अधीक्षक द्वारा फोन करने के काफी देर बाद श्री आशु चौहान ऑपटोमेट्रिस्ट एवं स्टाफ नर्स श्रीमती बबीता शर्मा उपस्थित हुए। • दोनो टीमों के पास कार्यक्रम से सम्बन्धित समुचित रिकार्ड उपलब्ध नही पाया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारुप पर रजिस्टर के सम्बन्ध में टीम सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। • दोनों टीमों के सदस्यों द्वारा फील्ड में किये गये स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य गतिविधि का विवरण निर्धारित प्रारुप पर प्रस्तुत नहीं किये गये। • टीमों को कार्यक्रम में अन्तर्गत उपलब्ध कराये वाहनों में से मात्र 01 वाहन उपलब्ध पाया गया। लॉगबुक किसी वाहन की प्रस्तुत नहीं की गयी।	• आर.बी.एस.के. की दोनों टीमों के समस्त सदस्यों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं मासिक कार्ययोजना तैयार कराने एवं तदनुसार फील्ड गतिविधियों को सम्पादित सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया। • कार्यक्रम की गाइडलाइन के अनुसार समस्त अभिलेख शीघ्र तैयार कराने एवं अद्यतन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	नोडल ए०सी.एम.ओ., डी.ई.आई.सी. मैनेजर, अधीक्षक,बी०पी०ए० एवं सम्बन्धित स्टाफ
19	सी.एच.सी. स्तर पर उपकेन्द्रों एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण अद्यतन नहीं पाया गया।	सुझाव दिया गया कि सभी ब्लाकों में उपकेन्द्रों एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को अवमुक्त धनराशि का व्यय विवरण अपडेट किया जाए।	अधीक्षक, ब्लाक लेखा प्रबन्धक एव बी.सी.पी.एम.
20	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सी.एच.सी. बागपत को जनपद से उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु0 264.98 लाख के सापेक्ष माह फरवरी 2023 तक रु0 97.90 लाख का व्यय किया गया है।	उपलब्ध धनराशि का नियमानुसार व्यय वित्तीय वर्ष में कराये जाने का सुझाव दिया गया।	अधीक्षक एवं ब्लाक लेखा प्रबन्धक

	अधीक्षक ने अवगत कराया कि बैम द्वारा फैम्स पोर्टल पर अपडेट किये जाने से व्यय कम परिलक्षित हो रहा है।		

सी.एच.सी. बागपत के इमरजेंसी वार्ड में लगा खाली फायर–सिलेन्टर

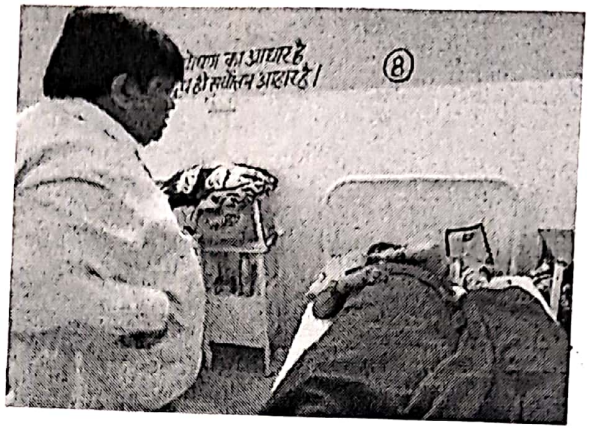

सी.एच.सी. बागपत के पी.एन.सी. वार्ड में प्रसूता से फीडबैक

जनपद स्तर पर बैठक–

उपरोक्त भ्रमण मे निकल कर तथ्यों पर फीडबैक एवं सुधार हेतु जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, अधीक्षक सी.एच.सी. बागपत, डी.ई.आई.सी. मैनेजर, डी.एम. एच.सी. आदि के साथ बैठक कर चर्चा की गयी। आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैन्युल में दिये गये निर्देशों के अनुसार लेखाभिलेखों को तैयार कराये जाने तथा मैनुअल का जनपद एवं अधीनस्थ इकाईयों द्वारा पूर्णतः पालन कराये जाने का सुझाव, बैठक में दिया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत एवं अन्य के साथ चर्चा

(दिनेश पाल सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.

(डा0 रईस अहमद)
कन्सल्टेंट, एम.एच.
एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.

Scanned with OKEN Scanner